



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 159 राँची, शुक्रवार,

28 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

27 फरवरी, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-503/2014 (पार्ट-II) का०-1162--उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1459/गो०, दिनांक-12.10.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि लावालोंग प्रखण्ड के प्रभार अवधि के समय में श्री पवन कुमार मंडल, झा०प्र०से०, के विरुद्ध सिमरिया थाना में कांड संख्या- 76/2006 दर्ज करायी गयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त कांड में श्री मंडल के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा के पदस्थापन के दौरान गिरफ्तारी वारंट जारी की गयी थी। फलस्वरूप गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय तक बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहे ।

उपायुक्त, चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक- 7295, दिनांक- 07.11.2009 के द्वारा श्री मंडल के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा स्मारित किया गया ।

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक- 304, दिनांक-23.07.2024 के साथ संलग्न तत्कालीन

उपायुक्त, चतरा का पत्रांक- 1430/गो०, दिनांक-08.12.2010 पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री पवन कुमार मंडल, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा पत्रांक-55/गो०, दिनांक- 21.01.09 के माध्यम से दिनांक- 27.01.2009 से 30.01.2009 के अवधि के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन उपायुक्त, चतरा को समर्पित किया गया था जिसपर **Sanctioned** अंकित है। उसके उपरांत उनके द्वारा अवकाश अवधि का विस्तार करने का आवेदन श्री मंडल के द्वारा दिया गया है ।

उपायुक्त, चतरा के पत्रांक- 370, दिनांक- 10.09.2024 के द्वारा संलग्न कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-3255, दिनांक 25.05.2022 के द्वारा श्री मण्डल के दिनांक-27.01.2009 से दिनांक- 27.02.2009 की अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही विभागीय पत्रांक- 3545 दिनांक- 22.06.2023 के द्वारा दिनांक- 28.02.2009 से 20.06.2009 की अवधि को पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 14(बी) के तहत विनियमित किया गया है ।

उक्त से स्पष्ट है कि श्री पवन कुमार मंडल दिनांक- 27.01.2009 से 27.02.2009 तक अवकाश में थे। उसके उपरांत वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। उपायुक्त, चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री मंडल अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश में गये थे एवं अवकाश के विस्तार के लिए भी आवेदन समय-समय पर उनके द्वारा दिया गया था। विभागीय अधिसूचना संख्या-3255, दिनांक- 25.05.2022 के द्वारा श्री मण्डल के दिनांक-27.01.2009 से दिनांक- 27.02.2009 की अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। अतएव श्री मण्डल के दिनांक-27.01.2009 से अनुपस्थित रहने से संबंधित मामले में कार्रवाई किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री पवन कुमार मण्डल, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 738ए/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा के दिनांक- 27.01.2009 से अनुपस्थित रहने से संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
